



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 048034

-5-

- 3- यहकि द्वितीयपक्ष 12,000/- बारह हजार रुपया सालाना किराया प्रथमपक्ष प्रतिवर्ष माह मार्च के प्रथम सप्ताह में अदा करती रहेगा ।
- 4- यहकि द्वितीय पक्ष पट्टा पर लिये हुए मकान में अपना स्कूल चलायेगा तथा अपना कारोबार पठन-पाठन अपने अनुसार करेगा इसमें प्रथमपक्ष को किसी भी प्रकार का कोई एतराज नहीं है।
- 5- यहकि किराया बाकी पड़ने पर प्रथमपक्ष व उसके उत्तराधिकारियों को किराया वसूल करने का अधिकार होगा।
- 6- यहकि पट्टे पर दी गयी सम्पत्ति बिल्कुल पाक साफ वेखलिश है, कहीं भी रेहन, बन्धक, विक्रय नहीं किया गया है और न किसी मुकदमे में मतलूब है। पाक साफ हालत में द्वितीय पक्ष को 30 वर्ष के लिए पट्टे पर "जे0 डी0 एस0 पब्लिक स्कूल" खोलने के लिए दिया गया है।

Principal

J.B.S. PUBLIC SCHOOL  
Varanasi

Manager

JDS Public School  
Varanasi